

छत्तीसगढ़ में PESA कानून लागू

चर्चा में क्यों?

9 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वशिव आदवासी दविस कार्यक्रम को संबोधति करते हुए बताया किराज्य में पेसा (Panchayat Extension of Schedule Area) अधनियम को लेकर नयिम बन चुका है, जसिे 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशति भी कथिा जा चुका है।

प्रमुख बदि

- गौरतलब है किर 7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेसा कानून के प्रारूप को मंजूरी दी गई थी। 8 अगस्त, 2022 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रदेश में लागू हो गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा किर पेसा कानून पहले से था, लेकिन इसके नयिम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदवासियों को नहीं मलि पा रहा था, अब नयिम बन जाने से प्रदेश के आदवासी अपने जल-जंगल-जमीन के बारे में खुद फ़ैसला ले सकेंगे।
- पेसा कानून लागू होने से ग्रामसभा का अधिकार बढ़ेगा। पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदवासी समुदाय से होंगे। इसमें से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। गाँवों के विकास में नरिणय लेने और आपसी वविादों के नपिटारे का भी उन्हें अधिकार होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा किर उनकी सरकार बनने के बाद वशिव आदवासी दविस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई, आदवासियों को वन अधिकार के पट्टे प्रदान कथिे गए, जसिके तहत अभी तक पाँच लाख पट्टे वन अधिकार के तहत दथिे जा चुके हैं।
- उल्लेखनीय है किर पंचायत (अनुसूचित क़्षेत्रों का वसितार) अधनियम, 1996 या पेसा, अनुसूचित क़्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लथिे ग्रामसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनश्चिति करने हेतु केंद्र द्वारा अधनियमति कथिा गया था। यह कानूनी रूप से जनजातीय समुदायों, अनुसूचित क़्षेत्रों के नवासियों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद को नयितरति करने के अधिकार को मान्यता देता है, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है।
- पेसा ग्रामसभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क़्षेत्रों को नयितरति करने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिाने का अधिकार देता है। इसमें नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएँ और कर्मी, लघु (गैर-लकड़ी) वन संसाधनों, लघु जल नकियाँ और लघु खनजिों पर नयितरण रखने, स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन, भूमि के अलगाव को रोकने और अन्य चीज़ों के साथ नशीले पदार्थों को नयितरति करना शामिल है।